जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक.- 05-10-2013

विषय :- राज्य स्तरीय जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों की बैठक के संबंध में।

महाशय,

भवदीय निदेशानुसार मैं राज्य स्तरीय जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों की बैठक में दिनांक 04-10-2013 को शामिल हुआ। बैठक की निम्न बातें महत्वपूर्ण है :-

1. नये भू-अर्जन अधिनियम लागू होने तक जिन परियोजनाओं का पंचाट घोषित हो जायेगा, उसे पुराने नियम के अनुसार पूरा करना होगा तथा जिन परियोजनाओं का पंचाट घोषित नहीं हो पायेगा, वह परियोजना बंद हो जायेगा और नये नियम के अनुसार कार्य शुरू होगा।
2. प्रधान सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि जिन परियोजनाओं का पंचाट घोषित होने की संभावना उसे यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए पंचाट घोषणा की कार्रवाई की जाए।
3. राज्य सरकार के नये भू-अर्जन अधिनियम के तहत् अपने राज्य के लिए नये नियम बनाने हैं।
4. उम्मीद है कि 27 दिसम्बर, 2013 तक नये नियम पर कार्य शुरू हो जायेंगे।
5. प्रधान सचिव महोदय ने बताया कि नये भू-अर्जन नियम पर एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

5/10/13

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
मधेपुरा।